

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय/संबंधित अधीक्षण अभियंता/
संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल/
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक 09.4.2013

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के मांग संख्या- 50 लघु सिंचाई विभाग, मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 लघु सिंचाई विभाग/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जाँच	4424.100

कुल आवंटित राशि -

रुपये चौवालीस करोड़ चौबीस लाख दस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 7931.97 लाख (उनासी करोड़ एकतीस लाख सतानबे हजार) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि मूहलेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ऑंकार नाथ)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 06

राँची, दिनांक :- 09-4-2013

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/जमशेदपुर/सरायकेला/चाईबासा/गुमला/खूंटी/सिमडेगा/लातेहार/लोहरदगा/मेदिनीनगर/गढ़वा/हुसैनाबाद/चतरा/हजारीबाग/रामगढ़/कोडरमा/गिरिडीह/धनबाद/बोकारो/देवघर/दुमका/गोड्डा/पाकुड़/साहेबगंज/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

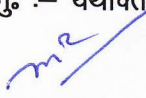
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 06

राँची, दिनांक :- 09-4-2013

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि०/ सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(ऑंकार नाथ)
सहा. अभि.



(सुबोध कुमार सिन्हा)
उप सचिव (अभि.)



(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव



(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

मांग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग

परिशिष्ट I

मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02 भूजल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच

पत्रांक 06 दिनांक 3.4.13 का अनुलग्नक

क्र.सं0	वित्तीय वर्ष 2013-2014	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में										
		वेतन	एल0टी0सी 0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दफ्तर कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	50N2702020 5010101	50N2702020 005010112	50N2702020 005010213	50N2702020 05010315	50N2702020 005010316	50N2702020 05010323	50N2702020 005010333	50N2702020 005010334	50N2702020 005010337	50N2702020 005010760	कुल योग	अभियुक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	10.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00												
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची	142.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00												
3	योजना मोनेटरिंग एवं आयोजन अंचल-3,राँची	37.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
4	लघु सिंचाई अंचल-चाईबासा	16.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
5	लघु सिंचाई अंचल, दुमका	52.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
6	लघु सिंचाई अंचल, देवघर	13.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
7	लघु सिंचाई अंचल-मदिनीनगर	30.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
8	लघु सिंचाई अंचल-राँची	90.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
9	लघु सिंचाई अंचल-हजारीबाग	36.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
10	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल,दुमका	38.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00												
11	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-राँची	154.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
12	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोडरमा	72.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
13	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूंटी	166.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
14	लघु सिंचाई प्रमंडल-गढ़वा	112.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
15	लघु सिंचाई प्रमंडल-गिरिडीह	98.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
16	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	158.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
17	लघु सिंचाई प्रमंडल-गोड्डा	149.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
18	लघु सिंचाई प्रमंडल-चतरा	117.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
19	लघु सिंचाई प्रमंडल- चाईबासा	134.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
20	लघु सिंचाई प्रमंडल-जमशेदपुर	272.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
21	लघु सिंचाई प्रमंडल- जामताड़ा	121.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
22	लघु सिंचाई प्रमंडल-दुमका	263.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												
23	लघु सिंचाई प्रमंडल- धनबाद	129.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00												

(ऑफिस नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभिनो)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिनो)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

क० सं०	वित्तीय वर्ष 2013-2014	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
		वेतन	एल०टी०सी 0		कार्यालय व्यय	किराया, दरे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय		मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
24	लघु सिचाई प्रमंडल-पाकुड़	134.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	134.70		
25	लघु सिचाई प्रमंडल- बोकारो	140.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	140.75		
26	लघु सिचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	114.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	114.75		
27	लघु सिचाई प्रमंडल-रामगढ़	133.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	133.75		
28	लघु सिचाई प्रमंडल-राँची	268.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	268.75		
29	लघु सिचाई प्रमंडल-लातेहार	96.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	96.75		
30	लघु सिचाई प्रमंडल-लोहरदगा	103.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	103.75		
31	लघु सिचाई प्रमंडल-सरायकेला	94.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	94.75		
32	लघु सिचाई प्रमंडल-साहेबगंज	172.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	172.75		
33	लघु सिचाई प्रमंडल- सिमडेगा	98.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	98.75		
34	लघु सिचाई प्रमंडल- हजारीबाग	146.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	146.75		
35	लघु सिचाई प्रमंडल- हुसैनाबाद	127.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	127.75		
36	लघु सिचाई रूपांकण एवं मोनेटसिंग प्रमंडल, दुमका	6.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	6.75		
37	लघु सिचाई रूपांकण प्रमंडल-दुमका, शिविर देवघर	109.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	109.75		
38	लघु सिचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची	136.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	136.45		
39	निदेशक , भूगर्भ जल निदेशालय, राँची	27.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	27.80		
40	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-दुमका	22.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	22.70		
41	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-राँची	44.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	44.75		
42	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-हजारीबाग	14.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	14.75		
	कुल आवंटन -	4392.00	0.00	8.60	9.05	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	12.50	0.00	4424.10		

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-69/बजट दि० 11.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.10.2012 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल आवंटित राशि-

रुपये चौवालीस करोड़ चौबीस लाख दस हजार मात्र

(ऑफर नाथ)

(मुक्ति साधन चौरसिया)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

(बी० सी० निगम)

(एस० के० शतपथी)

सहायक अभियंता

उप सचिव (अभि.)

संयुक्त सचिव (अभि.)

विशेष सचिव

प्रधान सचिव